

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

:: सूचना ::

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा के अधीन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए बिपार्ड, गया परिसर में दिनांक-28.07.2026 (मंगलवार) को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Verification of Certificates) कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल-263 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित शेष कुल-22 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम (Verification of Certificates) दिनांक-19.09.2026 (शनिवार) को एक पाली (10:00 पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक) में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (पुराना सचिवालय) में आयोजित किया गया है।

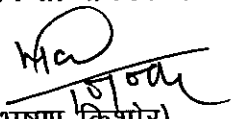
शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी निम्नलिखित है :-

दिनांक-19.09.2026 (शनिवार)						
10.00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 अपराह्न तक						
Sl. No	Roll No	Name		Sl. No	Roll No	Name
1	2	3		1	2	3
1.	420873	ABHINAV MISHRA		12.	336325	AYUSH KUMAR
2.	441689	VISHAL KUMAR		13.	549414	SHASHI KUMAR
3.	527790	NARENDRA KUMAR		14.	293721	ADITYA RANJAN SINGH
4.	336061	SANDEEP KUMAR SINGH PATEL		15.	250094	SHREYA
5.	222448	RAVISH KUMAR		16.	491065	RANDHIR KUMAR
6.	570456	ANNIE JOSHI		17.	477907	SUNIL KUMAR SUMAN
7.	553035	SHAIWI DUBEY		18.	374997	ASHWINI KUMAR
8.	437749	HARSHAD SINGH		19.	371710	AVINASH KUMAR
9.	228231	RAHUL KUMAR MISHRA		20.	162840	ANKURMANI
10.	166985	BHAVESH KUMAR TIWARI		21.	559586	OM PRAKASH CHOUDHARY
11.	407024	RAHUL RANJAN		22.	193376	NIKHIL KUMAR

१२

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियों की दो-दो स्व अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रतियां अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे :-

- (1) मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (2) इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (3) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र में वर्णित किया गया हो।
 - (4) अगर नियोजित (Employed) हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (5) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
 - (6) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।
 - (7) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र (EWS)
 - (8) भूतपूर्व सैनिक (EXSM)/विकलांग वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, केन्द्र सरकार/बिहार सरकार की सूची अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन मान्य हो।
 - (9) स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती के आधार पर चयन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उक्त से संबंधित प्रमाण पत्र।
 - (10) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)
 - (11) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
 - (12) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (विहित प्रपत्र में) - दो प्रतियों में (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध)।
 - (13) पासपोर्ट साईज का 04 (चार) फोटो।
 - (14) अभ्यर्थी की पहचान प्रमाणित करने से संबंधित कोई फोटोयुक्त दस्तावेज/पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट, इत्यादि)।
 - (15) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत अभ्यर्थी का सभी प्रमाण पत्र सही होने, थाना अथवा न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने एवं आचरण प्रतिकूल नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध)।
- उक्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जांच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(मणि भूषण किशोर),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।